रेल दावा न्यायाधिकरण

जयपुर न्यायपीठ

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL

JAIPUR BENCH

रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ (रेल दावा अधिकरण, पटना पीठ की सर्किट बैंच के तहत) सुनवाई हाईब्रिड मोड के द्वारा सम्पन्न की गई।

दावा आवेदन संख्या – ओ.ए.।(यू)/पीएनबीई/365/2019

कोरम : श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य (न्यायिक)

दावा पंजिकरण तिथि : **11.10.2019**

निर्णय तिथि : **21.11.2025**

वकील प्रसाद उर्फ बकील प्रसाद पुत्र स्व० श्री गोपाल राम, उम्र 48 वर्ष।

निवासीयान – गाव– बहयलपुर, पी.ओ. व पी.एस. गुराक, जिला– गया (बिहार) पिन कोड 824118।

.....प्रार्थी/आवेदक

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

.....प्रत्यर्थी/प्रतिप्रार्थी

उपस्थिति

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार द्वारा हाईब्रिड मोड।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक कुमार द्वारा हाईब्रिड मोड।

निर्णय

1. माननीय अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण, प्रधानपीठ दिल्ली महोदय के आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार उक्त प्रकरण को रेल दावा अधिकरण पटना पीठ के सर्किट बैंच के तहत हाईब्रिड मोड पर सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ में स्थानांतरण के तहत प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थी श्री बकील प्रसाद उर्फ वकील प्रसाद ने यह दावा याचिका, रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 सपठित धारा 16 रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के अन्तर्गत, प्रश्नगत अनापेक्षित दुर्घटना मे घायल होने एवं बाया पैर घुटने के नीचे से व दाया पैर की एडी और उगलियों सहित कट जाने एवं शरीर के अन्य भागों पर चोट के कारण क्षतिपूर्ती के रूप मे कुल 8,00,000/- आठ लाख रूपये मय घटना की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के लिये दाखिल की है। दावा याचिका के परिशिष्ट मे चरण *I* से *X* तक वर्णित प्रार्थी का प्रकरण निम्नानुसार है:-

3. *"(I) That the injured Wakil Prasad was going to Bela for join the Daskarm Sradh in father-in-law of Jeth Sali Pratima Devi they were lived on Bela.*

(II) That the injured Wakil Prasad was a bonafide Passenger he travel with valid 2nd Class Journey ticket as ticket No. URC-50714731 from Guraru to Bela Station on 15.10.2018 by Train No. 63290 Dehri-on-son to Gaya Passenger in presence of Jitendra Kumar Son of Late Narssingh Ram Village-Sanjay Nagar, Ward No. 6, Gaya, P.S.-Delha, Dist.-Gaya. There was no though train to go to Bela, so he boarded on this train only go to Gaya and after arriving the Second train catches up to Bela, but unfortunately this unpleasant incident happened after the opening train of the Guraru Station, resulting both legs was imputed.

(III) That the injured brought to P.H.C. Guraru by the public present at the time of the incident and inform to the injured family.

(IV) That Jaya Devi wife of Injured reached on P.H.C. Guraru with his sons and relatives and brought to the injured A.N.N.M.C.H. Gaya for best treatment on 15/10/2018 and after treatment he was discharge on 29.12.18 but within so many days no police officer has been taken his statement.

(V) That on dated 26.01.2019 Wakil Prasad @ Bakil Prasad reached on Rail Thana Gaya and give an application and pray to take necessary action.

(VI) That an S.D.E. No. 895/19 dt. 26.01.2019 was Registered Rail Thana Gaya Junction and authorized to S.I. Udeshwar Soren will be investigation in this case.

(VII) That after investigation I.O. has been submitted Janch report that this incident was true on the basis of beyan Wakil Prasad, eye witness passenger Jitendra Kumar, cabin man, station master and enquiry journey ticket.

(VIII) That this incident has occurred under Jurisdiction Eastern Central Railway Zone Hajipur.

(IX) That due to gross negligence of Railway Administration this incident has been done. He is never taking care of its passenger except its own earning which leads heavy rush and zolt in the train and that of frequent untoward incident.

(X) That the applicant is entitled to compensation and other reliefs."

(Reproduced as Verbatim)

प्रार्थी ने अपने दावा याचिका के समर्थन मे जांच रिपोर्ट, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, मूल रेलवे यात्रा टिकिट, विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति व प्रार्थी का आधार कार्ड की सत्यप्रति व बैंक पासबुक को दस्तावेजों के रूप मे प्रस्तुत किया है।

4. प्रतिप्रार्थी ने अपना जवाबदावा मय मूल डीआरएम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है। प्रतिप्रार्थी के द्वारा लिखित कथन की प्रारंभिक आपत्तियों को पैरा सं0 05 से 09 तक का पुनरूत्पादन निम्नानुसार किया जा रहा है :–

"5. That the statement made in Para-6 of an application is a fabricated and concocted story made by the applicant. That the applicant has to put on strict proof for the same. The Memo is not issued by the Gaya Railway Station Master. That the statement of applicant is denied.

6. That the statement made in Para-7 of an application is denied as the applicant has to put on strict proof for the same. Journey ticket has not been recovered from the possession of the injured Wakil Prasad

and ticket was managed by his relatives. That the injured person was not a bonafide passenger it is false and fabricated story made by Wakil Prasad himself. The ticket is managed by his relative to take compensation from the Railway.

7. That the statement made in Para 8, 9, 10 11 is a matter of record thus needs no comment.

8. That the statement made in Para-12, 13, 14, 15 of an application is denied as the respondent have no personal knowledge. The Bank account no. of application is given in O.A. is Bank of Baroda, Rauna Branch Gurarru, Gaya. The applicant is resident of Village Bahawatpur P.O.+ P.S.-Guraru, District-Gaya, Bihar.

9. That the statement made in Para-16 of an application is denied. It is submitted that the applicant is not entitled for any compensation in the light of submission made above."

(Reproduced as Verbatim)

5. दावा आवेदन एवं जवाब दावा में उल्लेखित अभिवचनों के आधार पर, इस वाद में निम्नलिखित वाद विषय दिनांक 24.06.2021 को बनाए गये थे:

1. *Whether injured was a bonafide passenger of train No. 63290?*
2. *Whether injury is covered under section 123 (c) (2) of the Railway Act, 1989?*
3. *Whether applicant are entitled to receive compensation, if yes, to what extent?*

6. प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र (एडब्ल्यू –1) मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी से दिनांक 13.04.2023 को प्रतिपरीक्षण किया।

7. प्रतिप्रार्थी के द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जवाब दावे के साथ प्रस्तुत की गई डी.आर.एम. रिपोर्ट प्रदर्श के रूप में अंकित कर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाने का अनुरोध किया है।

8. प्रतिप्रार्थी ने डी.आर.एम. रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष में कथित किया है कि :–

1) घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है।

2) कार्यरत गार्ड द्वारा घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गयी है।

3) श्री राजेश कुमार स्टेशन मास्टर गुरारू एवं केबिन मास्टर गुरारू के द्वारा दिये गये बयान से स्पष्ट है कि दिनांक 15.10.18 को घायल वकील प्रसाद गाड़ी सं0–63290 डाउन से गिरकर घायल नहीं हुए है बल्कि उप लाईन से थ्रू पास कर रही पीक मालगाड़ी से अप लाईन में दुर्घटनाग्रस्त हुये है।

9. प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व प्रकरण का अवलोकन किया गया, वाद विषय की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण

Decision with Reason

वाद विषय 01 व 02

सुविधा के दृष्टिकोण से एवं तथ्यों की पुनरावृति न हो जिस कारण से वाद विषय क्रमांक 1 व 2 पर एक साथ विचारण किया जा रहा है।

10. दावा याचिका के अभिवचनों को प्रमाणित किये जाने बावत प्रार्थी ने स्वयं का शपथ पत्र साक्षी एडब्ल्यू–1 के रुप में प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा कथित किया गया है :–

1. यह कि यह अप्रिय घटना दिनांक 15/10/2018 की है। मैं उक्त तिथि को गुरारू से बेला रेलवे स्टेशन तक का साधारण रेल टिकिट खरीदकर डेहरी–गया मेमो पैसेंजर ट्रेन से गया जा रहे थे जहाँ से ट्रेन बदलकर बेला जाना पड़ता है।

2. यह कि मेरे साढु के पिताजी को श्राद्ध कर्म था उसी में शामिल होने के लिए मैं ग्राम अंगनी जा रहा था जो बेला स्टेशन उतर कर जाना पड़ता है।

3. यह कि उक्त ट्रेन में काफी भीड़ थी जैसे ही यह ट्रेन गुरारू रेलवे स्टेशन से खुली की यात्रियों के दबाव के कारण मैं उक्त चलती ट्रेन से गुरारू स्टेशन पर ही गिर कर जख्मी हो गये थे।

4 यह कि मुझे घटना स्थल पर उपस्थित यात्रियों एवं पुलिस के द्वारा तत्काल इलाज हेतु पी.एच.सी गुरारू में भर्ती कराया गया था तथा इस अप्रिय घटना की सूचना मेरे घर पर भी दिये थे सूचना पाकर मेरी पत्नी एवं बच्चे हॉस्पीटल पहुँचे जहाँ से बेहतर इलाज हेतु मुझे अनु०मा०म०मे०का० गया ले गये। जहाँ करीब ढाई माह तक मेरा ईलाज चला था।

5 यह कि इस अप्रिय घटना के कारण मुझे निम्न जख्म हुआ है। (1) बाँया पैर ठेहुना से निचे कट गया था (2) दाहिना पैर का पंजा ऐंडी सहित कट गई थी (3) पुरे बदन में खरोंच आ गया था।

6 यह कि रेल टिकट की मूल कॉपी न्यायालय में दाखिल किया हूँ।

7 यह कि इस दावा वाद में दाखिल दस्तावेज जैसे (1) आवेदन, (2) जाँच रिपोर्ट (3) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, (4) रेल टिकट, (5) विकलांगता प्रमाण पत्र, (6) आधार कार्ड (7) बैंक पासबुक की छाया प्रति आदी को प्रदर्श करने की कृपा की जावे।

8 यह कि मैं वैध रेल यात्री था मेरे द्वारा लाया गया दावा वाद सही वो सत्य है। इसके अलावे अलग से मुआवजा हेतु दुसरा कोई केश दाखिल नही किया है।

(Reproduced as Verbatim)

11. प्रार्थी ने अपने प्रतिपरिक्षण में कथित किया कि :–

दाया पैर का पूरा पंजा एड़ी से सटा हुआ कटा है एवं बाया पैर घुटना से पाच ईंच नीचे से कटा हुआ है।

घटना एतवार को घटित हुई थी, घटना की तारीख याद नहीं है । मैं बेला अम्मी जा रहा था। मेरे साढु के पिताजी की मृत्यु हो गयी थी, उन्हीं का भोज मे जा रहा था। किस तिथि को भोज थी वह याद नहीं है। मेरे साढु के पिताजी किस वर्ष मरे थे यह याद नहीं है। मेरा घर गुरारू स्टेशन से दो कोस की दूरी पर है। गुरारू से डायरेक्ट ट्रेन बेला तक जाती है। मैं इंटरसिटी से जा रहा था, वह ट्रेन डिहरी से आ रही थी जो बेला तक जाती है। गाड़ी साढ़े पांच बजे गुरारू स्टेशन आयी थी। गाड़ी दो नम्बर प्लेटफार्म पर आयी थी। मैं दो नम्बर प्लेटफार्म सीढ़ी से गया था। मैं आटे की पूरी बोरी ट्रेन में चढ़ा दिया था, उसी बीच यात्री के धक्का के कारण मैं ट्रेन से गिर गया। मैं खड़ी ट्रेन मे चढ़ा था। ट्रेन आधा घंटा रुकी थी। ट्रेन जैसे ही खुली यात्रियों के धक्का के कारण मैं गिर गया। घटना के समय मैं

होश में था। घटना की सूचना किसी रेल कर्मचारी को नहीं दी थी। घटना के बाद रेलवे पुलिस ने सरकारी अस्पताल ले गये थे । ईलाज तीन महीना तक चला था। रेलवे पुलिस बयान ली थी कि नहीं यह मुझे ख्याल नहीं है। घटना से संबंधित कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया था। मैंने घटना से संबंधित प्रार्थना पत्र जो डी आर एम रिपोर्ट में संलग्न है उसको देख लिया है, उस पर मेरा हस्ताक्षर है। मेरे साथ कोई परिचित स्टेशन नहीं गया था और नहीं मेरा कोई परिचित से स्टेशन पर मुलाकात हुई । मैं यात्रा टिकट गुरारू से लिया था जिसका मूल्य 10 रूपया । मेरी पत्नी जीवित है। जिस समय मैं स्टेशन पर थी उस समय मालगाड़ी भी गुजरी थी। यह कहना गलत है कि मेरी दुर्घटना मालगाड़ी के चपेट में आने से हुई हो। यह कहना गलत है कि मैं यात्रा टिकट जुगाड़कर आवेदन पत्र मे दाखिल किया हूं। यह कहना गलत है कि मैं उस दिन साहु के यह न जा रहा हो। यह कहना गलत है कि मैं मुआवजा के लिये न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिये आया हूं।

(Reproduced as Verbatim)

12. दावा याचिका के तथ्यों को प्रमाणित करने बावत साक्षी वकील प्रसाद ने स्वयं का शपथ पत्र साक्षी एडब्ल्यू–1 के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमे उसने कथित किया है कि घटना दिनांक 15.10.2018 को गुरारू से बेला रेलवे स्टेशन तक का साधारण रेल यात्रा टिकिट खरीदकर डेहरी–गया मेमो पैसेंजर ट्रेन से गया जा रहे थे, जहाँ से ट्रेन बदल कर बेला जाना था, ट्रेन गुरारू रेलवे स्टेशन खुली तो आहत चलती ट्रेन से गुरारू रेलवे स्टेशन पर ही जख्मी हो गया था। आहत को तत्काल पी.एच. सी., गुरारू मे भर्ती करवाया गया। घटना मे आहत के ठेहुना से नीचे बाया पैर कट गया था, दाहिने पैर का पंजा ऐडी सहित कट गया था एवं पुरे शरीर पर खरोचे आ गई थी। आहत के प्रतिपरिक्षण मे ऐसा कोई विरोधाभास नही पाया गया जिससे आहत की शपथ पत्रिय साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। आहत के द्वारा प्रतिपरिक्षण के दौरान प्रतिप्रार्थी के कथन को गलत बताया है कि मेरी दुर्घटना मालगाडी की चपेट मे आने से हुई हो एवं मैंने टिकिट जुगाड़ कर आवेदन पत्र दाखिल किया है।

13. आहत ने स्वयं को सदभावी यात्री सिद्ध किये जाने बावत शपथ पत्रिय साक्ष्य में टिकिट क्रय कर यात्रा करने के कथन किये है एवं मूल यात्रा टिकिट दावा याचिका के साथ प्रस्तुत किया है। डीआरएम रिपोर्ट मे यात्रा टिकिट आहत से मिलना स्वीकार किया गया है, जिसका सत्यापन मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक, गुरारू के द्वारा

किया गया है। अतएव आहत के घटना के समय सदभावी यात्री होने के संबंध में संदेह नहीं है।

14. आहत साक्षी ने स्वयं की शपथ पत्रिय साक्ष्य में गुरारू से बेला की यात्रा के दौरान गुरारू स्टेशन से ट्रेन खुलने पर गुरारू स्टेशन पर ही ट्रेन से गिरना कथित किया है। घटना की जांच गया रेल थाना के प्रधान आरक्षक के द्वारा की गई है जिसमें आहत के पास यात्रा टिकिट पाया जाना एवं आहत का डेहरी ऑन सोन गया पैसेंजर से गुरारू केबिन के पास आहत का गिरकर जख्मी होना कथित किया गया है। आहत को सर्वप्रथम पी.एच.सी. गुरारू ईलाज हेतु ले जाया गया था जहां आहत के पर्चे पर लेख किया गया है कि आहत की दोनों टांगे यात्री ट्रेन से जख्मी हुई है। इस तरह आहत की शपथ पत्रिय साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य से भी समर्थित है।

15. प्रतिप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथित किया है कि डीआरएम रिपोर्ट के निष्कर्ष में उल्लेखित अनुसार आहत अपलाईन से थ्रू पास कर रही पी.आई.सी. मालगाड़ी से अपलाईन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। प्रतिप्रार्थी का उक्त कथन मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिप्रार्थी के द्वारा उक्त कथन को प्रमाणित करने बावत कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रतिप्रार्थी के द्वारा डीआरएम रिपोर्ट भी वैधानिक रूप से तैयार नहीं की गई क्योंकि घटना दिनांक 15.10.2018 की है एवं डीआरएम रिपोर्ट रेलवे यात्री अनापेक्षित घटना का अन्वेषण नियम 2020 के अनुसार वैधानिक अवधि 90 दिवस में तैयार ना कर अत्यंत विलम्ब से 13.02.2020 को तैयार की गई है एवं रिपोर्ट नियमानुसार मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए परन्तु रिपोर्ट वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के द्वारा हस्ताक्षरित है, जो ग्राह्य योग्य नहीं है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के साथ गुरारू स्टेशन का टी.एस.आर. भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस अधिकरण द्वारा दिनांक 19.09.2025 को प्रतिप्रार्थी को निर्देशित किया की वह गुरारू स्टेशन का घटना दिनांक की स्टेशन डायरी एवं टी.एस.आर. प्रस्तुत करे परन्तु प्रतिप्रार्थी के द्वारा स्टेशन प्रबंधक, गुरारू का पत्र दिनांक 12.11.2025 प्रेषित किया, जिसमें कथित किया गया है कि घटना दिनांक 15.10.2018 का टी.एस.आर. करीब सात वर्ष पूर्व का है, जो उपलब्ध नहीं है, जिसे नष्ट किया जा चुका है। अतएव न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित दस्तावेज समय रहते सुरक्षित ना करने के कारण प्रतिप्रार्थी के विरूद्ध धारा 114 (जी) साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रतिकूल

अनुमान निकाला जाता है कि उक्त दस्तावेज रेलवे प्रशासन के पक्ष में ना होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***Union of India v. Prabhakaran Vijaya Kumar*, (2008) 9 SCC 527** में निर्धारित किया है कि :–

Since the provision for compensation in the Railways Act is a beneficial piece of legislation, in our opinion, it should receive a liberal and wider interpretation and not a narrow and technical one. Hence, in our opinion the latter of the abovementioned two interpretations i.e. the one which advances the object of the statute and serves its purpose should be preferred

It is well settled that if the words used in a beneficial or welfare statute are capable of two constructions, the one which is more in consonance with the object of the Act and for the benefit of the person for whom the Act was made should be preferred. In other words, beneficial or welfare statutes should be given a liberal and not literal or strict interpretation

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर रेलवे अधिनियम एक लाभकारी विधान है एवं लाभकारी विधान में प्रयुक्त शब्दों के यदि दो अर्थ निकलते है तो ऐसे अर्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिसके उद्देश्य हेतु उक्त विधान को निर्मित किया गया है एवं लाभकारी विधान की ऐसी उदार व्याख्या की जानी चाहिये जिससे उसे निर्मित किये जाने का उद्देश्य सफल हो सके।

17. प्रार्थी की मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आहत प्रार्थी घटना दिनांक 15.10.2018 को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 (29) में परिभाषित अनुसार सदभावी यात्री के रूप में मुगल से डेहरी की यात्रा डेहरी–गया मेमो पैसेंजर से कर रहा था एवं यात्रा के दौरान उक्त ट्रेन से गिरकर अनापेक्षित घटना में घायल हुआ। अतएव वाद विषय क्रमांक 01 व 02 प्रार्थी के पक्ष में एवं प्रतिप्रार्थी के विरूद्ध निर्णीत किये जाते है।

वाद विषय 03

18\. प्रार्थी आहत ने शपथ पत्रिय साक्ष्य में प्रमाणित किया है कि आहत का बाया पैर केहुना से नीचे कट गया था एवं दाया पैर पंजा ऐडी सहित कट गया था। आहत की उक्त चोटें उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित है। आहत के द्वारा प्रस्तुत अपंगता प्रमाण पत्र में उसकी दोनो टांगे कटना दर्शाई गई है। साक्ष्य के समय अधिकरण द्वारा आहत की चोट का निरिक्षण किया एवं पाया कि आहत के दाये पैर का पंजा ऐडी से कटा हुआ है एवं बाया पैर घुटने से पांच इंच नीचे से कटा हुआ है। प्रार्थी आहत को आई हुई चोट रेलवे दुर्घटना व अनापेक्षित घटना (क्षतिपूर्ती) नियम 1990 के नियम 3(3) की अनुसूची के भाग–2 के क्रमांक 1 के अर्न्तगत आती है, जिसके अनुसार प्रार्थी को क्षतिपूर्ती राशि 8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, घटना दिनांक 15.10.2018 से अपर पंजियक, रेल दावा अधिकरण में जमा करने की दिनांक तक प्रतिप्रार्थी रेलवे प्रशासन से प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्तानुसार वाद विषय का निर्णित किया जाता है।

आदेश

ORDER

19\. यह दावा प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। प्रार्थी को रू 8,00,000/– (रू आठ लाख रूपये मात्र) मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज घटना दिनांक 15.10.2018 से अपर पंजियक, रेल दावा अधिकरण में जमा करने की दिनांक तक का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है।

आवेदक का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		नकद राशि	एफडी/सावधि राशि
उमेश प्रसाद वर्मा [illegible] प्रसाद पुत्र [illegible] की [illegible] रूप।	रू 8,00,000/–	रू 80,000/– सम्पूर्ण ब्याज सहित	रू 7,20,000/– इस राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि में जमा किया जायेगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थी को उसके बचत खाते में भुगतान करना अदा कि जायेगी।

प्रतिप्रार्थी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण, के स्युटर मनी (Suitor Money) एकाउंट में इस आदेश की दिनांक से 30 दिनों के भीतर जमा करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिप्रार्थी रेलवे ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यू.टी.आर. नंबर, ब्याज की गणना सहित आवेदक की मुआवजा राशि इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवेदक को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदक के अधिवक्ता को भी देगा।

20. यदि प्रतिप्रार्थी रेलवे दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति राशि रेल दावा अधिकरण के स्युटर मनी (Suitor Money) एकाउंट में जमा नहीं करता तो मुआवजा राशि पर निर्णय दिनांक से स्युटर मनी एकाउंट में राशि जमा कराने की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

21. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया :–

5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untowards Incidents (Compensation) Rules, 1990

5.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the award. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk fund in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No. 31521-31522 OF 2017. A Statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant...."

२२. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालना में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क.जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुये रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार है:-

"5. **Mode of Payment-**

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimants, having due regard to the illiteracu or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mads as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

२३. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण चरण क्रमांक 19 में उल्लेखित अनुसार किया जावें।

२४. प्रार्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के व्यक्तिगत बचत खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

25. यदि प्रार्थी टीडीएस कटौती की छूट का हकदार है तो वह फार्म–15जी या फार्म15–एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करे एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जायेगी।

26. जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जावे–

1. प्रार्थी के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते अनुमति नहीं देगा।

2. इस अधिकरण की अनुमति के बिना प्रार्थी की सावधि जमा पर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।

3. बैंक प्रार्थी को किसी भी प्रकार की चैक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा। यद्यपि चैक बुक या डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।

4. बैंक प्रार्थी की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि प्रार्थीगण को चैक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किये गये है और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं किये जायेंगे। प्रार्थी उक्त प्रविष्टि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के उपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

27. उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

दिनांक 21.11.2025 को अधिघोषित किया गया ।

(राजीव जैन)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण/जयपुर पीठ
पटना पीठ की सर्किट बैंच के तहत